



प्रेस नोट

दिनांक 13.03.2025

**थाना जरिया पुलिस द्वारा जिला बदर अभियुक्त गिरफ्तार।**

पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 13.03.2025 को थाना जरिया पुलिस टीम द्वारा अपर जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) हमीरपुर के कम्प्यूटीकृत वाद संख्या D20247320000347 सरकार बनाम गुलठाई उर्फ लवकेश पुरी पुत्र श्रीप्रकाश अंतर्गत धारा 3/4 अधिनियम 30 प्र 0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 में दिनांक 21/10/2024 से 06 माह के लिए जनपद की सीमा से निष्कासित किया गया था। मुखबिर की सूचना थाना क्षेत्र से जिलाबदर अभियुक्त गुलठाई उर्फ लवकेश पुरी पुत्र श्रीप्रकाश (उम्र करीब 33 वर्ष) निवासी ग्राम रिग्वारा खुर्द थाना जरिया जनपद हमीरपुर को गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 34/2025 धारा 10 30 प्र 0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

अभियुक्त गुलठाई उर्फ लवकेश पुरी पुत्र श्रीप्रकाश (उम्र करीब 33 वर्ष) निवासी ग्राम रिग्वारा खुर्द थाना जरिया जनपद हमीरपुर